

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/

दिनांक: 26-6-13

आदेश संख्या: 124 /2013-14

श्री किरोडी मल, सहायक लेखाधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, अलवर को राज्य अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा ट्रेप किये जाने एवं अपराध संख्या 84/2008 पंजीबद्ध किये जाने के कारण आयुक्त, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद के आदेश क्रमांक 20667-72 दिनांक 23.04.2008 के द्वारा निलम्बित किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश क्रमांक 6169-6176 दिनांक 26.05.2008 से निलम्बित माना गया।

श्री किरोडी मल (निलम्बित) सहायक लेखाधिकारी के संबंध में कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157) कार्मिक/क-3/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु.3) की आज्ञा क्रमांक प.6(23)प्र.सुं./अनु/3/99/दि0 12.01.2011 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी की निलम्बन से बहाली हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 08.06.2013 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार एवं वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2 (8) वित्त/राजस्व/2008 दिनांक 12.06.2013 के द्वारा पदस्थापन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप श्री किरोडी मल (निलम्बित) सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय कोषालय दौसा को निलम्बन से बहाल कर इनका पदस्थापन जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) झालावाड के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अध्याधीन किया जावेगा।


निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/ 3223-27

दिनांक: 26-6-13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपशासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर।
2. कोषाधिकारी दौसा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) झालावाड।
4. श्री किरोडी मल (निलम्बित) सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय कोषालय दौसा।
5. निजी सहायक निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/ गार्ड फाईल।
7. उपनिदेशक (प्र.स.वि.)


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)